

KGG-SCH/1N/12.00

Q. No. 106

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, the hon. Minister's reply states that the initial results shown in the limited trial of solar energy shows that to a certain extent it can fulfill the electrical requirement in narrow gauge coaches and not in broad gauge coaches. I would like to know from the Minister if he is looking at other sources of non-conventional energy; and if so, what other sources are.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, we are in the process of changing, to a great extent, the energy mix of Indian Railways. Indian Railways uses two kinds of energy. The first is the traction energy and the other is the non-traction energy. Our target is to work on both. On solar energy, our target is to make 1,000 MW—500 MW from roof top and 500 MW from land-based PV panels. The other measure is to do in wind energy; the target is 200 MW and I am happy to say that the installed capacity is already 36.5 MW, when we recently installed it in Jaisalmer. On waste-to-energy, we are working on ten locations. Already Jaipur plant produces 5 tonnes a day and 100 KW hours a day; Delhi plant produces 15 tonnes a day. And, tenders for eight more are under various stages of finalization. I have already said that the Indian

Q. No. 106 (CONTD.)

Railways must explore the possibility of having tie-up with cities because the waste of municipal corporations will be substantially higher than the Indian Railways. Hence, we should not be putting up waste-to-energy plants only for the Indian Railways waste generation. Therefore, we are working on that.

Sir, in addition to this, we are doing energy audits. I am happy to say that 643 locations have been covered with energy audits. In addition to this, as you correctly put a question, we are working to generate energy from the top of railway coach itself. We are trying to put solar panels on an experimental-basis. On narrow gauge, it has been quite successful. But, for one air-conditioned coach, we need 25-30 KW hours of energy whereas the capacity today of a solar panel is only 4.8 KW. Therefore, there is a difference. For the narrow gauge coach, the capacity of the solar panel to generate matches it and, therefore, we are doing it. Of course, as the efficiency of the solar panels improves substantially to a higher level, --currently it is at 17-18 per cent—we will be able to use that also. Today, we are running a Climate Change Express; and on that, on an experimental-basis, we are trying to put solar panels on top of the coaches.

Q. No. 106 (CONTD.)

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, the Minister stated about the solar energy. I had asked if they are looking for other non-conventional energies.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, when I explained about waste-to-energy, it is a non-conventional energy.

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, what are the sources of non-conventional energy? Have you identified the non-conventional energies?

SHRI SURESH PRABHU: Sir, non-conventional energy includes wind energy, which I just mentioned; non-conventional energy includes waste-to-energy, which I mentioned. Former Minister, Shri Jairam Ramesh, is here; he will tell you that these are all sources of non-conventional energies.

श्री प्रेम चन्द गुप्ता : श्रीमान्, पॉल्यूशन और दूसरी समस्याओं को देखते हुए इस वक्त सारी दुनिया में fossil fuel आधारित power generation के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में armed forces के बाद रेलवे के पास सबसे बड़ा land bank है। आप रेलवे वैगंस के ऊपर roof top के लिए जो ट्रायल कर रहे हैं, इसकी जो cost है, it must be more expensive than what you can do on the ground or on the rooftop of the railway buildings. So, have you done any study on

Uncorrected/ Not for Publication-10.03.2017

Q. No. 106 (CONTD.)

this account? Is it cheaper to install panels on your land bank or on rooftop of your existing buildings in comparison to railway coaches?

(Contd. by KLS-RPM/10)

SCH-KLS/12.05/10

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (क्रमागत) : क्योंकि अगर आप रेलवे वैगन के ऊपर इसको फिक्स करते हैं, तो it is a very expensive process and the power supply is not constant. What it can provide is that zero watt or ten watt bulbs can be switched on or it can provide power to fans. Why don't you have a massive plan? You have so much of land bank. Go for a massive wind power generation, waste management power generation and solar power generation.

SHRI SURESH PRABHU: The hon. Member is absolutely right. In fact, as I mentioned, we are doing both and very, very small portion, very, very miniscule portion will come from the top of the coach. It is on experimental basis. Most of it is coming from land base which is 500 MW and another 500 MW is from rooftops, the rooftops of all the railways buildings which are using a lot of electricity. Power from the rooftop will be used for captive consumption essentially in the buildings where it is put up whereas the land

Q. No. 106 (CONTD.)

based solar panel generation will be used for traction power. That is exactly what we are trying to do. You are asking me a very valid point-- we have only tied up yesterday only — I am happy to inform the House — with the United National Environment Programme, which is a specialized body of the United Nation, also to ascertain the entire potential of how much solar energy railway can generate from various sources. We are also working to find out how much more of wind, solar, waste energy and all other forms can be used. In addition to this, we are trying, as I was saying, the profile of energy. So, we are trying to find out how we can buy electricity directly from the market by using open access under the Electricity Act, 2003. We have reduced the cost of energy purchase significantly. In fact, our target is to save Rs.41,000 crores of energy bill in the course of next ten years. We are only on track and we are saving Rs.4,000 crores because that is the only way by which railway can be sustaining because salary is the biggest source and the second source of cost is energy. So, we are reducing that.

श्री अमर शंकर साबले : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि देश भर में रेलवे के कारण कितना electricity bill आता है

Q. No. 106 (CONTD.)

और कितनी electricity लगती है? Electricity की खपत को कम करने के लिए क्या रेलवे के द्वारा कोई योजना बनाई गई है?

श्री सुरेश प्रभु : जैसा मैंने बताया कि energy efficiency एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके तहत हम बहुत बड़ी मात्रा में energy को save कर पाएंगे और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में energy saving operations चल रहे हैं। रेलवे में जहां-जहां भी लाइट्स लगी हुई हैं, हम उन सब लाइट्स को एलईडी लाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम लोग energy audit भी कर रहे हैं और जैसा मैंने अभी कहा, बहुत सारी installations में energy audit हो भी चुके हैं। इन सबका परिणाम यह होगा कि हम रेलवे की energy efficiency बढ़ाने में, जैसा आप सभी चाहते हैं, पूरी मात्रा में सफल हो पाएंगे।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, what I would like to ask the hon. Minister is that some years ago there was a lot of excitement on the use of jatropha to substitute for diesel in the railways. The railways are substantial consumer of diesel. There was a lot of talk that jatropha would be grown on land that is owned by the railways and this would be used to substitute for diesel. I would like to ask the hon. Minister whether there is some thinking on jatropha.

Q. No. 106 (CONTD.)

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I remember that there was an initiative about it. But what we are doing today is we are using bio-fuels and adding it to the diesel by which we are able to save substantially. But, plantation of jatropha has not yet happened. I will find out what is the reason for it.

(Ends)

Q.No.107

SHRI A. VIJAYAKUMAR: Hon. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government would expedite the State's demand of Rs.39,565 crores as drought relief package to Tamil Nadu. Since the Inter-Ministerial Central Team has submitted its report and all the 32 districts have been officially declared as 'drought affected', the meagre amount of relief extended by the Central Government is not helpful to meet the crisis of drought affected farmers.

(Followed by 1P/SSS)

SSS-RPM/1P/12.10

श्री परषोत्तम रूपाला: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अपनी जो परम्पराएं और प्रक्रियाएं एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके अनुसार राज्य सरकार से ज्ञापन आने के बाद केन्द्रीय टीम का दौरा होता है और केन्द्रीय टीम अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करती है। उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट की एक कमेटी होती है, जिसके ऊपर वह विचार करती है। कल ही उसकी बैठक हुई है और उसने अनुशंसा कर के अपनी रिकमंडेशन एचएलसी को भेज दी है।

SHRI A. VIJAYAKUMAR: Sir, my second supplementary question is, demonetization has brought the money-lenders to the doors of helpless farmers who were already in deep distress. Since they don't have an

Q. NO. 107 (CONTD.)

option, the farmers have to accept the money-lenders' offers. Will the Government provide interest free loans to drought-hit farmers?

श्री परषोत्तम रुपाला: सर, विशेष आपदाओं का प्रबन्धन करने की जो पद्धतियां हैं, उसमें अपने हैड तय किए हुए हैं। यदि राज्य सरकार इसमें इनीशिएटिव लेकर करना चाहे, तो कर सकती है। राज्य सरकार की दरखास्त देखने के बाद, कमेटी की अनुशंसा के बाद और जिस हैड पर देने की अनुमति दी गई है, वह हमारी ओर से एचएलसी को भेज दी गई है।

महोदय, माननीय सदस्य ब्याज-मुक्त लोन देने के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इसमें उसका प्रावधान नहीं होता है।

SHRI K.K. RAGESH: Sir, there has been a sharp reduction in rainfall in Kerala during the last south-west monsoon. The reduction was a record of more than 34 per cent and it affects the State of Kerala in a very big way. The whole State is drough- affected and considering the particular situation, whether the Government will consider...

MR. CHAIRMAN: The question relates to Tamil Nadu.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, it relates to drought. I am talking about drought.

श्री सभापति: ठीक है, पहले इनकी बात सुन लीजिए।

Q. NO. 107 (CONTD.)

SHRI K.K. RAGESH: I would like to know whether the Government will declare Kerala also as a drought-affected State because it affects Kerala in a very big way. The Chief Minister himself had approached the Central Government for Central assistance and I want to know whether the Central Government will provide necessary assistance to the State of Kerala and declare Kerala as a drought-affected State.

श्री राधा मोहन सिंह: माननीय सभापति महोदय, किसी प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। यदि राज्य सरकार अपने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करती है और हमारे पास मेमोरेंडम भेजती है, तो निश्चित रूप से हमारी टीम जाएगी, अध्ययन करेगी और हम पर्याप्त सहायता करेंगे।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: As regards the Memorandum submitted by our hon. Chief Minister, Shri Edappadi Palaniswami to our hon. Prime Minister on 27th February, 2017, he has said that our State has been severely affected by drought. The State has been declared drought-hit and there is no relief for the farmers. The damages caused to the crops is due to heavy failure of rainfall. We have to ensure drinking water supply by various temporary measures. We have to ensure drinking water supply in the ensuing summer. I would like that adequate fodder availability should be

Q. NO. 107 (CONTD.)

maintained for the cattle and employment generation programmes also has to be taken up on a war-footing. We need Central assistance and, on a war footing, we need Rs. 12,500 crores to be released as per the request of the hon. Chief Minister.

श्री राधा मोहन सिंह: माननीय सभापति जी, जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि हमारी टीम गई थी और टीम की रिपोर्ट आ गई है। इस बारे में अंतिम बैठक भी हो गई है तथा इस बारे में एचएलसी, जो हाई लैवल कमेटी होती है, उसके पास उसे भेज भी दिया गया है और लगता है कि एक सप्ताह के अंदर जो राष्ट्रीय आपदा कोष के नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार अच्छी सहायता मिलेगी।

(1 क्यू/ वीएनके पर जारी)

-SSS/NBR-VNK/1Q/12.15.

श्री राधा मोहन सिंह (क्रमागत) : मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 5-7 वर्षों में कभी भी सूखा आया होगा और जितनी सहायता मिली होगी... मेरी जो जानकारी है कि तमिलनाडु से अभी पिछले लगभग 6-7 वर्षों में सूखा प्रभावित होने के कारण 19,665 करोड़ रुपए की मांग हुई थी ...(व्यवधान)... मैं पिछली बात बता रहा हूँ।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: It is the State and Central share together.

Q. NO. 107 (CONTD.)

श्री राधा मोहन सिंह : पिछले सात सालों में 624 करोड़ रुपए 'राष्ट्रीय आपदा कोष' से दिए गए हैं।

MR. CHAIRMAN: No dialogue, please.

श्री राधा मोहन सिंह : मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल जो डिमांड की है, भारत सरकार बहुत बड़ी सहायता राशि आपके राज्य को देगी। उसकी बैठक यानी एचएलसी की बैठक होगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी।

श्री हरिवंश : माननीय सभापति जी, यह सवाल जरूर तमिलनाडु से जुड़ा है, पर सूखे और कृषि से भी जुड़ा है। मेरी माननीय कृषि मंत्री जी यह जानने की जिज्ञासा है कि कल ही मैंने खबर पढ़ी थी कि महाराष्ट्र में सौ से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। क्या सूखे की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और कारण है? क्या कृषि मंत्री को इसकी सूचना है और देश के किन और अन्य हिस्सों में सूखा पड़ा है और इसके लिए केन्द्र ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री राधा मोहन सिंह : सर, जहां तक अखबारी जानकारी का सवाल है, वह जैसे आपको मिली है, हमको भी मिली है, लेकिन विधिवत रूप से जो 'अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, उसके तहत हमें आंकड़े मिलते हैं। उसके तहत 2015 के आंकड़े आ गए हैं, लेकिन 2016 के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं।

(समाप्त)

Q. NO. 108

SHRI VIVEK GUPTA: Sir, I would like to know, through you, from the hon. Minister that if you look at the list of stations mentioned in the reply, the Northern part, the Central part, the Southern part and even the Western part of the country have more than 50 stations each providing Wi-Fi facility at stations. But, when it comes to the Eastern part, there are only 2 or 3 stations. So, I would like know from the hon. Minister: When does he plan to remove this discrimination and ensure that stations in the Eastern part of the country also enjoy Wi-Fi facility as other parts of the country are enjoying?

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I had already said about the criteria where internet shall be provided. We will be covering 400 stations. Of course, eventually we will be covering a large number of stations. But, in the first batch, with Google, we are covering about 400 stations. The criteria for that is the category of station. As you know, the category of a station depends upon the volume in that particular place. So, "A-1 Category" non-suburban station is a station with an annual passenger earnings of more than Rs. 60 crores. "A Category" non-suburban station is a station with an annual passenger earnings between Rs. 8 crores and Rs. 60 crore. So, we will

Q. NO. 108 (CONTD.)

definitely ensure that stations falling in the Eastern side will also be covered.

Sir, the sun rises in the East. So, we cannot ignore the East.

SHRI VIVEK GUPTA: Sir, I wanted to know whether the RailTel Corporation is different from the Government of India. I thought it is a subsidiary of the Railways. When I asked the question about details of funds allocated, it was replied that it is done by the RailTel Corporation without any fund allocation from the Government. Sir, by the way, RailTel Corporation is a 100 per cent subsidiary of the Ministry of Railways. So, figures are not mentioned. Sir, Wi-Fi is given free of cost. I wanted to know, through you, from the hon. Minister uptill when Wi-Fi will be given free and from when are you planning to charge.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, no money is provided by the Railway Ministry from its own Budget to this particular project. The RailTel Corporation Ltd., you are right, is owned by the Government of India through the Railway Board. But, it is under the administrative control of the Ministry of Railways.

Sir, there were more than 7,000 stations covered through underground optic fiber cable network years ago. So, this is the backbone required to offer any broadband services like Wi-Fi. When this was created, obviously,

Q. NO. 108 (CONTD.)

the Railways was interested to offer better services to the customer. So, we said that we will offer free Wi-Fi to customers. Therefore, RailTel tied up with others and tried to provide service; we are not providing any funds. Now, the question is: How long will we provide free service? It is something as and when we take any decision you will be the first one to know.

(FOLLOWED BY USY/1R)

USY-NKR/1R/12.20

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, the hon. Minister has said that the RailTel Corporation of India, a PSU under this Ministry, which has been entrusted with the project of Wi-Fi facility at stations, has the necessary mechanism to block websites in terms of guidelines/ directions issued by the Department of Telecom (DoT), from time to time. My question is very simple. How can, in a running train, we connect any other place by mobile phone any other phone? Have any arrangements been made by the Railways?

SHRI SURESH PRABHU: Sir, this Wi-Fi facility has been offered to stations, which are in the stationary form. Of course, there is a proposal to do it in the running trains also. The inter-connectivity issues will definitely

Q. NO. 108 (CONTD.)

come in. But we are definitely trying to do this. In fact, in some trains a start has already been made. We will try to offer it in more trains.

श्री महेश पोद्दार : आज के दिन जब Portable Wi-Fi equipments available हैं, रेलवे स्टेशन्स पर या कहीं भी Portable Wi-Fi के through लोग उसे use कर रहे हैं, आम लोग या साधारण लोगों की सुविधा के लिए Railway Stations पर, अन्य सुधारों के साथ-साथ, रेलवे Wi-Fi service provide कर रही है लेकिन क्या दिक्कतें आ रही हैं कि रेलवे बहुत बड़े स्तर पर, इसे categorywise न करके, बड़े स्तर पर, बड़े stations पर provide करने के लिए, जहां कोई criteria हो कि इतने passengers उपयोग करते हैं, इस आधार पर लगाने की बात क्यों नहीं करती है?

श्री सुरेश प्रभु : आने वाले समय में हमारी उम्मीद भी है और चाहत भी है कि सब stations पर इसे provide करें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरू यहां से किया गया है, 115 स्टेशन्स पर आज यह सुविधा उपलब्ध है और इसका लाभ बड़ी मात्रा में आम आदमी ले ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ, जो हमारे students हैं, वे वहां आकर पढ़ाई करें, क्योंकि यहां इसकी जो speed है, वह सबसे अच्छी है और गूगल का कहना है कि - This is the biggest and the fastest public Wi-Fi anywhere in the world. यह सुविधा यहां भी लगेगी और सब जगह पर होगी, लेकिन शुरुआत यहां से की गई है।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is good that the Government of India is providing Wi-Fi facility at the stations, listed in the answer. There are

Q. NO. 108 (CONTD.)

umpteen cases that are being reported where the persons, not holding valid tickets, would get into the railway stations and misuse the Wi-Fi facility being provided by the Government of India. I would like to know from the hon. Minister whether any mechanism is being evolved to prevent such a misuse. One such step could be that only after the PNR number is entered the Wi-Fi facility would be accessible.

SHRI SURESH PRABHU: Of course, all the valid ticket-holders can use this facility. But, today, this facility is available to everybody. For example, the students can come and use this facility. Of course, if the hon. Member suggests that we should not allow that then we may consider it. So far as misuse is concerned, it is a public service being offered to the people. So, I think, it is a 'misuse' in that sense of the term. But, in order to ensure that nobody can access the sites prohibited by the DoT, the DoT guidelines are being followed.

(Ends)

Q.NO. 109

MR. CHAIRMAN: Question No. 109. Questioner not present. Shri Ananda Bhaskar Rapolu.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister is gracious enough to record the facts that the Food Corporation of India is going away from its regular duty. When the office was demitted by the UPA, the storage capacity of the Food Corporation of India was 156.47 lakh metric tonnes, whereas today it has reduced to 154.15 lakh metric tonnes. The role of the Food Corporation of India in food storage and particularly in the expanding necessities of the cold chains and the regular food-storage requirements are enlarging.

(Contd. by 1s —PK)

PK-DS/1S/12.25

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (CONTD.): But the Union Government is not encouraging the Food Corporation of India; rather, it is diverting its role, or, bifurcating its role into various divisions. I would like to know from the Union Minister whether there are any designs to dismantle the Food Corporation of India -- in serving the food requirements and providing food storage capacity.

Q. NO. 109(CONTD.)

SHRI C.R. CHAUDHARY: Hon. Chairman, Sir, since it is my maiden reply, blessings of all the learned hon. Members is solicited. I think the hon. Member has gone through the table, which is given in the reply. As he mentioned that the storage capacity is decreasing, एफसीआई की कैपेसिटी के संबंध में मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि एफसीआई पर कम ध्यान दिया जाए। This is not the thing. CAP के अंदर जो कवर्ड और प्लिंथ एरिया होता है, उसमें धीरे-धीरे, एफसीआई का जो मामला था, उसको कम किया जा रहा है। Instead of that, we are going for silos. There are two, three systems of storing foodgrains. First, the FCI is the main agency. The second agency is the Central Warehousing Corporation (CWC), and the third, which is important, is the Private Entrepreneur Guarantee Scheme. Now, we are going for another system, which is the latest one. A high level committee was constituted, and that committee gave the recommendation that, now, -- FCI and the Government -- foodgrains should be stored in the silos. Silos का 100 लाख टन का जो रोड मैप है, that is also in the pipeline. We are already working on that line. Silos of about 13.7 lakh tonnes of capacity have already been ordered for construction. मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के

Q. NO. 109(CONTD.)

बाद इस कारण से कैपेसिटी में कोई कमी नहीं हुई है। एफसीआई की अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है; in the month of June, there is maximum procurement. उस समय wheat का procurement होता है, साथ में चावल का सेकंड प्रोडक्शन भी आता है। इसी प्रकार, even at that time, we require storage capacity of 600 lakh metric tonnes, whereas we have the storage capacity of 775.74 lakh metric tonnes. So, capacity wise, there is no problem. There is no discrimination. The FCI is the main agency, which is doing all these jobs.

Secondly, as you know, a lot of States are going to be Decentralised Procurement (DCP) States,. They are storing foodgrains in their own godowns. That is why एफसीआई की जो कैपेसिटी है, उसका 80 परसेंट तक ही यूज हो पा रहा है। जो DCP States हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उनको ऐडवाइस भी दे रहे हैं कि kindly give priority to the FCI godowns. So, there is no dearth of godowns, there is no dearth of storage capacity at all, and एफसीआई के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि we are discouraging the FCI or the State Governments are discouraging the FCI. That is not the issue. Thank you.

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, the hon. Minister suggests that there is no shortage, because the storage capacity has gone up. But the fact remains

Q. NO. 109(CONTD.)

that lakhs of tonnes of foodgrains of wheat, rice and paddy are wasted because of inadequate storage capacity or the poor quality of storage. In the Global Hunger Index, India is at 55th position. We are below Nepal, Uganda, Angola, and, yet we say that we have adequate storage capacity. How does the hon. Minister resolve this reality?

श्री सी.आर. चौधरी : ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि, actually, in the FCI or the Central Warehousing Corporation, there is no dearth of storage capacity. First, pilferage; second, damage; and, third, transportation and transit में losses होते रहते हैं।

(1टी/एमसीएम-पीबी पर जारी)

PB-MCM/1T/12.30

श्री सी०आर० चौधरी (क्रमागत) : आप देखेंगे कि लेमैन सामान्यतया यह सोचता है कि हम लोग हर साल 600 lakh tonne, not more than that, के आसपास स्टोर करते हैं। Out of that, in the last year, only 3,000 metric tonne का loss हुआ। That is negligible. अगर घर पर कुछ सामान रखते हैं तो उसमें भी थोड़ा loss होता है। इतने बड़े गोदाम से इतना बड़ा transit होता है, उसमें loss जरूर होता है। सेकंडली, damage का कारण biotic कारण भी है, abiotic कारण भी है। कई बार natural causes heavy rainfalls हैं। इन कारणों से थोड़ा सा loss होता है। I agree

Q. NO. 109(CONTD.)

with the hon. Member, लेकिन यह स्टोरेज केपेसिटी के कारण नहीं है। Storage is sufficient. But losses के कारण उससे भी हैं। Transit में losses भी होते हैं। कई बार fungus वगैरह लग जाती है। सारा प्रिक्योर करने के बाद in spite of taking all the precautions, even then, some losses are there. बहुत meagre losses हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले से आता हूँ, जो खास तौर से गेहूँ के उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि खाद्यान्न का जो भंडारण है, वह सफिशिएंट है। मैं जब क्षेत्र में आता हूँ तो बहुत ऐसी जगह खाद्यान्न का स्टोरेज किया गया है, जो खुले में है, केवल उसके ऊपर तिरपाल रखा हुआ है और बारिश में वह खराब भी होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सौ प्रतिशत खाद्यान्न के भंडारण की जो क्षमता है, उसको प्राप्त करने के लिए, सरकार ने उसको पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य रखा है कि कब तक सौ प्रतिशत जो हमारा खाद्यान्न है, उसका स्टोरेज हो सके, उसके लिए कोई टारगेट रखा है कि किस वर्ष तक कब तक आप इस भण्डारण की क्षमता को प्राप्त कर सकेंगे?

श्री सी०आर० चौधरी : ऑरनेबल चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि आपकी चिंता सही है। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा हंड्रेड परसेंट ऑलरेडी है। कई बार प्रोक्योरमेंट के टाइम पर जो.....(व्यवधान)....

Q. NO. 109(CONTD.)

श्री सभापति : सुन लीजिए।

श्री सी०आर० चौधरी : कृपया सुनने का कष्ट करें। जो स्केप है, वह एक टेम्पोरेरी अरेंजमेंट है। माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले कैपेसिटी ज्यादा थी, उसमें ज्यादा रखा जाता था, धीरे-धीरे इसको कम किया जा रहा है, जो कवर और प्लिंथ वाला है। Instead of that, we have brought the scheme of silos. That is 100 lakh tonne जो ऑलरेडी है। इसी प्रकार से जहां-जहां पर आपका पेड सिस्टम है, प्राइवेट इंटरप्रिन्योर गारंटी, जिसमें 151 लाख टन का जो टारगेट रखा था, इसमें से we have already achieved 136 lakh tonne under the PEGY Schemes. मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कहीं बुलन्दशहर में कमी है तो आप हमें बताएं, We will find out the solution. ...(Interruptions)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : सर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा सौ परसेंट भंडारण की क्षमता.....(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: One minute. The hon. Minister.

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, जो प्रोक्योरमेंट का सवाल है, एक तो प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन बहुत बड़ी संख्या में होता है और प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट अकेले एफ०सी०आई० नहीं करती है, एफ०सी०आई० तो केवल 10 परसेंट करती है और 90 परसेंट राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारें जो प्रोक्योरमेंट करती हैं, हम उसको पैसा देते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि दो तरह के स्टेट्स हैं, एक

Q. NO. 109(CONTD.)

डी0सी0पी0 स्टेट है और दूसरा स्टेट वह है, जहां हम भी खरीदते हैं और राज्य सरकारें भी खरीदती हैं। हम उसको पैसा देने में कोई कोताही नहीं करते हैं। आपने जो कहा कि बाहर अनाज रखा रहता है, यह मिस-कंसेप्शन है कि बाहर जो सामान रखा रहता है, वह एफ0सी0आई0 का है। बाहर में जो सामान रहता है वह किसान का है। जब तक.....(व्यवधान)..... एक मिनट, पहले सुनिए। जब तक हमारे पास में किसान से अनाज खरीद करके राज्य सरकार..... हम राज्य सरकार को पैसा देते हैं। जैसा कि हमारे स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास 750 लाख टन की कैपेसिटी उपलब्ध है, जिसमें केवल पिक प्वाइंट पर 600 लाख टन है, तो हमारे यहां उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो किसान है, वह खेत में रखता है या राज्य सरकार उसको खरीदती है, हमारे पास नहीं देती है, तो वह हमारी जवाबदेही नहीं है, वह राज्य सरकार की जवाबदेही है।

श्री किरनमय नन्दा : आप हंड्रेड परसेंट एफ0सी0आई0 के अंदर क्यों नहीं करते हैं?.....(व्यवधान)...

श्री सभापति : बैठ जाइए।

(1U/SC पर आगे)

Q. NO. 109(CONTD.)

SC-SKC/12.35/1U

श्री रामविलास पासवान : हम 100 परसेंट क्या, 110 प्रतिशत खरीदने को तैयार हैं। जब हमने MSP लागू किया है तो हमने कहा है कि हम एक-एक दाना खरीदेंगे, लेकिन ..(व्यवधान)..

श्री किरनमय नन्दा : आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था कहां है?

श्री रामविलास पासवान : स्टोरेज हमारे पास है, 775 लाख टन का है, - पीक प्वाइंट पर केवल 600 लाख टन है, तो हमारे पास तो 150 टन का ज्यादा स्टोरेज है।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No. 110. Questioner not present; let the question be answered.

प्रश्न संख्या 110

श्रीमती विप्लव ठाकुर : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 31.12.2016 तक 1,127.81 मोबाइल टॉवर लगाए। प्रश्न में भी hilly areas के संबंध में specially पूछा गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं, जहां पर टॉवर्स नहीं हैं। अगर वहां पर उनसे division या circle के बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम टॉवर्स नहीं लगा सकते। मैं ऐसे एरियाज़ के बारे में बता सकती हूँ, खासकर धर्मशाला डिवीज़न में देहरा सब-डिवीज़न में ऐसे एरियाज़ हैं, जहां पर अभी भी लोगों को मोबाइल सुविधा नहीं मिली है। सर, हमारे पंडित सुखराम जी जब संचार मंत्री थे, उस समय इस संबंध में उन्होंने पूरी कोशिश की थी और उन्हीं की देन है कि आज पूरे देश में इतने मोबाइल्स हो गए हैं। फिर भी कुछ एरियाज़ हैं, जिनमें टॉवर्स के लिए Divisional Circle के पास पैसा नहीं है। क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में फंड्स देने की कृपा करेगी, जिससे वहां पर टॉवर्स लग सकें और लोगों को सहूलियत मिल सके, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ?

श्री मनोज सिन्हा : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो जानना चाहा है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह सच है कि पूरे देश में mobile connectivity नहीं है। भारत सरकार ने इस संबंध में कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं और उनका प्लान भी बनाया है, जिसमें Left-Wing Extremism Affected Areas के लिए प्लान है, जिसको हमने implement कर लिया है। Hilly area, जिसमें आपका प्रदेश भी आता है, उसका भी

Q. NO. 110(CONTD.)

हमने प्लान बनाया है। इसी प्रकार North-Eastern States हैं - ये priority के काम हैं। सन् 2018 तक इनमें से अधिकांश काम हम पूरे कर लेंगे। 2011 के सेंसस के आधार पर अभी तक 55,000 villages हैं, जहां पर mobile connectivity नहीं है। USOF से जो levy भारत सरकार लेती है, उसमें हम प्लान बना रहे हैं कि देश के जो शेष गांव रह गए हैं, उनको आने वाले दिनों में mobile connectivity से जोड़ा जाए। इसलिए आप निश्चित रहें, hilly area हमारी प्राथमिकता में है और उन क्षेत्रों में mobile connectivity पहुंचे, इस पर सरकार काम कर रही है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : अगर मैं आपको लिखकर दूंगी तो क्या आप जवाब देंगे?

श्री मनोज सिन्हा : जो आप लिखकर देंगी, उसमें जो कुछ भी संभव होगा, मैं उसे जरूर करूंगा।

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, the Minister just mentioned the Universal Service Obligation Fund. This is the Fund that is available to provide connectivity to remote areas and unreserved areas. That Fund is massively under-utilized. How much percentage of that Fund has been utilized and why is it not being harnessed for providing services to these remote areas in a way that is necessary?

श्री मनोज सिन्हा : सर, माननीय सदस्य ने बहुत उचित प्रश्न पूछा है। भारत के Consolidated Fund में काफी पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे मंत्रालय खर्च

Q. NO. 110(CONTD.)

करता है, उस हिसाब से वित्त मंत्रालय उसको धनराशि रिलीज़ करता है। अभी तक जो खर्च की स्थिति थी, वह इतनी अच्छी नहीं थी। अब उसमें काफी अच्छी प्रगति हुई है। जैसा मैंने बताया कि जो 55,000 गांव शेष रह गए हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेट्रीज़ को हमारे यहां से पत्र गया है और हमने उनसे अनुरोध किया है कि अन्य भी जो गांव हैं, कृपया वे हमें उनकी सूची भेजें, ताकि हम आने वाले प्लान में उन्हें निश्चित रूप से ले सकें।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the hilly regions and remote areas in Maoism-affected districts are traditionally occupied by Maoists. My district, Khammam, is one such region. Now, we are always subjected to attacks where entire telephone towers have vanished in three days, after it took me almost a year to get them established there. Do you consider prioritizing these communication towers in the Maoism-affected areas and districts to ensure that they have continued communication, for the safety, welfare and development of those areas?

(FOLLOWED BY HK/1W)

GS-HK/1W/12.40

Q. NO. 110(CONTD.)

श्री मनोज सिन्हा : सभापति महोदय, यह सही है कि जहां माओइस्ट एरिया है, वह भारत सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्रालय ने निश्चित रूप से हमें कुछ निर्देश दिए थे, केवल 15-16 स्थानों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर जो सेंक्शन था, वहां पर टावर्स लगा दिए गए हैं और वे radiate कर रहे हैं। अगर कोई विशेष क्षेत्र है, तो माननीय सदस्या से मैं आग्रह करूंगा कि वे उसके बारे में मुझे लिखित रूप में दे दें, तो मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या का भी समाधान हो जाए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मंत्री जी, समस्या यह है कि जब टावर सेंक्शन हो जाता है, तो उसको माओइस्ट्स उखाड़ देते हैं, तो दोबारा वहीं पर टावर लगाने के बारे में कहा जाता है कि अबकी बार आप रुकिए, आप ठहरिए पहले पूरा एरिया कवर करेंगे, फिर दोबारा से आपका टावर सेंक्शन होगा। इतनी देर में तो बड़ा नुकसान हो जाता है।

श्री मनोज सिन्हा : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्या से यही अर्ज किया है कि अगर ऐसी कोई घटना आपके क्षेत्र में हुई है, तो कृपया उसकी सूचना दें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी : धन्यवाद।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 111

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार की जो खान-पान नीति 2017 में घोषित की गई है और अभी जो सहूलियत मिल रही है, उस नीति के कारण आने वाले दिनों में पैसेंजर्स को क्या इससे अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है? अगर मिल सकती है, तो कैसी फैसिलिटी मिल सकती है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ?

श्री सुरेश प्रभु : सर, आज की जो खान-पान सेवा के बारे में नीति है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए 27 फरवरी, 2017 को हम लोगों ने एक नई नीति जारी की है। इसमें काफी आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। इसमें एक बात यह है कि खाना बनाने वाला और खाने का वितरण, दोनों व्यवस्थाओं को पूरी मात्रा में हम लोगों ने अलग-अलग कर दिया है। खाना बनाने के लिए बेस किचन्स बनायी जाएंगी और पूरी मैकेनाइज्ड किचन आईआरसीटीसी की निगरानी में काम करेगी। उसका लाभ यह होगा कि जब खाने की क्वालिटी, जहां पर खाना बनता है, वहां पर ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर लोगों को जो खाना दिया जाता है, उसमें तो जरूर खराबी होगी। इसलिए इसमें सबसे पहले आमूल-चूल परिवर्तन होना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि जो खाना लोगों को देंगे, उसके लिए हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी प्रोफेशनल एजेंसी का अभी टेंडर बन रहा है। उन सब को invite किया जाएगा और वे ही खाने को distribute करने का काम करेंगे। यह काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। साथ ही, जो static unit है, उसके बारे में हमारी सभी महिला सदस्याएं

Q. NO. 111 (CONTD.)

सुनकर खुश होंगी कि उसमें हमने महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण रखा है। जहां भी स्टाल्स दिए जाएंगे, वहां पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्टाल्स हमने रिजर्व करने का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट ने अभी तक सांसदों के बारे में.. लेकिन हमने यह पहला फैसला कर दिया है।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री सुरेश प्रभु : साथ ही में, हम लोगों ने यह भी किया है कि जो static stall है, वह पहले लाइफलाइंग दिया जाता था, अब वह पांच साल से ज्यादा समय के लिए नहीं दिया जाएगा, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है या उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसके ऊपर फौरन हम एक्शन ले पाएंगे। साथ ही, हमने बड़ी मात्रा में ई-केटरिंग की शुरुआत की है। आज आपको जो खाना चाहिए, आपकी पसंद का खाना, आपकी सीट के ऊपर दिया जाता है, उसके लिए Food Accredited Bill है, लेकिन जो पुरानी नीति थी, उसके तहत हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई थीं। आज जिस तरह से लोगों को खाना दिया जाता है, उसके बारे में शिकायतों के लिए हमने हॉटलाइन establish की, जो भी चाहे, उस पर शिकायत कर सकता है। और भी शिकायतें हैं, उनके लिए ट्विटर हैंडल भी दिया है, लेकिन जो काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत जरूर आएगी। इसके लिए हमने उसमें पूरी तरह से परिवर्तन करने का फैसला लिया है। मुझे यह कहने में आनंद हो रहा है कि उसको पूरी मात्रा में कार्यरत करने की शुरुआत भी हुई है और जो पुरानी व्यवस्था है, उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं।

Q. NO. 111 (CONTD.)

सर, माननीय सदस्य ने पहला जो क्वेश्चन पूछा था, वह एक स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में पूछा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यह जो ट्रेन है, जिसमें इस तरह की सुविधा लोगों को दी जा रही थी, जिसके बारे में बहुत शिकायतें थीं। अब इसको तो वेस्टर्न रेलवे डील करता है, रेलवे बोर्ड के पास शिकायतें जाती थीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा तो मैंने उसमें देखा और यह बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत सारी शिकायतें आई थीं और मैंने जांच का आदेश दिया। सर, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जो अम्बुज होटल है, रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी काम करती थी, उसका कल हमने कांट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। उसके खिलाफ हम लोग एक्शन भी लेंगे और उसे हम लोग ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे, क्योंकि इसका हमें भी पता नहीं।

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि साउथ इंडिया से जो ट्रेनें आती हैं, लगभग 20 ट्रेनें आती हैं, वे ट्रेने अहमदाबाद यार्ड में आकर 20 घंटे तक या 24 घंटे तक पड़ी रहती हैं। उन ट्रेनों को सौराष्ट्र तक बढ़ाया जाए और पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, राजकोट तक बढ़ाया जाए, इससे रेलवे को भी मुनाफा होगा और साउथ इंडिया से आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। क्या भविष्य के लिए ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन है?

(ASC/1X पर जारी)

ASC- KSK /12.45/1X

Q. NO. 111 (CONTD.)

श्री सुरेश प्रभु : सर, यह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, फिर भी यह एक सुझाव है, इसलिए हम इस सुझाव के बारे में जरूर सोचेंगे।

श्रीमती कहकशां परवीन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस की बात हो रही है और खानपान की बात हो रही है। जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस है या फिर रांची राजधानी एक्सप्रेस है, इन सब राजधानियों से पहले AC First Class के लिए जो रसोई यान थे, कुछ दिन पहले वे सब हटा दिए गए हैं। अब केवल एक ही रसोई यान है और उससे ही सभी यात्रियों को खाना मुहैया कराया जाता है। जब वहां पर खाना बन जाता है, तो लोग वहां से खाना लाते हैं और अपनी-अपनी बोगियों में रखकर लोगों को खाना सर्व करते हैं। AC First Class की यह स्थिति है कि शौचालय के बगल में जो जगह होती है, वहां से लोगों को खाना परोसा जाता है।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस ट्रे में खाना परोसा जाता है, उस ट्रे में जो मैट लगाया जाता है, उसमें "स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत" की बात कही जाती है। जब इस तरह से खाना परोसा जाता है, तो खाने में भी करारियत होती है, लेकिन वे बरतन कहां धोते हैं? अगर चम्मच वॉश बेसिन में गिर जाए, तो वही चम्मच हमें इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। हम तो वहां जाकर देखते नहीं हैं, लेकिन इससे अंदाजा लगाते हैं।

Q. NO. 111 (CONTD.)

आपका जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना है, क्या वह इससे साकार होगा, मैं यह जानना चाहती हूँ?

श्री सुरेश प्रभु : सर, माननीय सदस्या ने जो स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में बात कही है, तो मैं इस बारे में जानकारी लेकर ही आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जो पुरानी व्यवस्था पुरानी नीति के तहत चल रही थी, उसको लेकर जो शिकायतें आ रही थीं, आप जो बात कह रही हैं, वह भी पुरानी व्यवस्था के तहत ही चल रही है। उसमें पूरी मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि जो खाना बनाने की व्यवस्था है, वह कहीं पर नहीं होगी और एक मैकेनाइज़्ड लेवल पर खाना बनाया जाएगा। रसोई वहीं पर रहेगी और खाना बनने के बाद उसका मैकेनाइज़्ड वितरण होगा और IRCTC उसके लिए जिम्मेदार बनाई गई है, ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो। कोई निजी कॉन्ट्रैक्टर उसमें काम नहीं कर पाएगा, लेकिन खाना बनने के बाद उसके distribution का जो काम है यानी खाना बनने के बाद रसोई से लोगों तक पहुंचाने का जो काम है, उसको करने के लिए जो प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं, जो hospitality का काम करती हैं, उनको दिया जाए। आपने जो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के बारे में पूछा है, मैं उसको जरूर देखूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ... (व्यवधान) ... मैं उसको जरूर देखूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे सांसद भाई, बहन या कोई भी आदमी इस तरह का खाना खाएं, मैं इसको जरूर देखूंगा। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती कहकशां परवीन : सभापति महोदय ... (व्यवधान) ...

Q. NO. 111 (CONTD.)

श्री सभापति : थैंक यू, आपका सवाल खत्म हो गया है।

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, खाना और पानी और उस पर हो अच्छी मेहरबानी, तो हमारी सुधर जाए कहानी। मैं जानता हूं कि कुछ अच्छी शुरुआत करने के लिए जैसे नई दिल्ली, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में जो खाना दिया जाता है, बहुत सलीके से और बहुत बेहतर खाना दिया जाता है, किन्तु जितनी शताब्दी एक्सप्रेस चलती हैं, जिनमें मैंने भी सफर किया है, वहां खाने की गुणवत्ता को मेंटेन करने के कोई उपाय नहीं हैं। जो आदमी इन ट्रेनों में सफर करता है और रेलें जब कभी लेट हो जाती हैं, तो उसको ट्रेनों में खाना, खाना ही पड़ता है। इसलिए खाना ऐसा होना चाहिए, जिसमें सभी का गुज़ारा हो जाए और वह खाना साफ-सुथरा भी हो। उसमें ज्यादा डिशेज़ हों, ऐसा जरूरी नहीं है, किन्तु जो भी मिले, वह अच्छा मिले।

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है?

डा. सत्यनारायण जटिया : मेरा सवाल यह है कि अच्छा खाना देने के लिए क्या उपाय करेंगे और खान-पान की सेवाएं रेलवे स्टेशन्स पर हों, ताकि लोगों को गर्म खाना मिले। इसके लिए LPG के बर्नर वगैरह, जो हमारे नागदा, रतलाम रेलमंडल में बंद कर दिए गए हैं, खाना अच्छा और गर्म करने की सुविधाओं को क्या अब शुरू करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : सर, यह बात बिल्कुल सही है कि लोगों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। लोगों को खाना गर्म भी मिलना चाहिए, ताकि passenger भी अपने दिमाग से गर्म न हो और अच्छी तरह से खाना खा सके, ऐसा करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे।

Q. NO. 111 (CONTD.)

मैंने कहा है कि इसके लिए बेस किचन बनाए जाएंगे। मैंने अपने रेलवे बोर्ड को इसके लिए आदेश भी दे दिया है। अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। आज मैंने कह दिया और कल से बात नहीं बन पाएगी, लेकिन हमारी यह कोशिश है कि कम से कम डेढ़ या दो घंटे के अंदर बेस किचन में खाना मिले। जब ट्रेन पास करेगी, तो गर्म खाना वहां से पिक-अप करके डिस्ट्रिब्यूट करके लोगों को मिलेगा।

सर, आज भी हवाई जहाज में जो खाना मिलता है, वह बहुत पहले पकाया जाता है और उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। हम ट्रेन में लोगों को बहुत ही अच्छा और फ्रेश खाना देने में कामयाब रहेंगे, इसके लिए जो नई नीति बनाई है, उसमें बेस किचन की भी सुविधा है।

(1Y/LP पर जारी)

LP-GSP/12.50/1y

श्री सुरेश प्रभु (क्रमागत) : सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है कि लोगों को एथनिक खाना मिले। यानी यदि जयराम रमेश जी चाहेंगे कि उन्हें मैसूर का खाना मिलना चाहिए, हमारी बहिन को आंध्र प्रदेश का खाना मिलना चाहिए, तो हमने इसके लिए एक नए प्रयास की जो शुरुआत की है, उसमें यह व्यवस्था है कि लोगों को ऐसा एथनिक खाना मिले। मैंने बजट स्पीच में इसकी शुरुआत के बारे में कहा था। आज मुझे यह कहने में खुशी है कि हमने ई-केटरिंग के तहत कोंकण में, वहाँ के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें बहुत सारी

Q. NO. 111 (CONTD.)

गरीब महिलाएँ हैं, वे जो खाना बना रही हैं, हम वह खाना वहाँ से लेकर लोगों को दे रहे हैं। इस पर लोगों का इतना अच्छा प्रतिसाद है कि हम चाहते हैं कि यह सुविधा केवल कुछ ही नहीं, बल्कि बहुत अधिक मात्रा में लोगों को मिले। हम नहीं चाहते कि वेजिटेरियन खाने में सिर्फ पनीर ही रहे। क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं भी पनीर को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें एडिशन हो। हमारे देश में खाने में इतनी विविधता है, इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों न उस विविधता का हमारी केटरिंग सर्विस में भी रिफ्लेक्शन हो और लोगों को अच्छा खाना मिले।

SHRI RIPUN BORA: Mr. Chairman, Sir, I have a specific question. The hon. Railway Minister just now praised the food quality at so many destinations. But, Sir, I wish to say something as far as Assam is concerned. Sir, I am a regular traveller in the Guwahati-bound Rajdhani Express. The food quality is very poor, bad and unhygienic. I fully agree with my colleagues that the food is stored just in front of the toilets.

My question to the hon. Minister is whether the Minister will make some provision either to launch a helpline or to form a special squad so that whenever we have a complaint and we raise the issue either on the helpline or with the special squad, immediate action can be taken.

Q. NO. 111 (CONTD.)

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I have already answered this point. We have already created a helpline. In addition to that, those who wish to communicate with us through social media, they can do that. But the issue you raised is essentially the reason, rationale and justification for changing the policy was exactly the same. Today, the type of food that is served through the private contractors is not up to the expectations of the people. Therefore, we are changing it completely. I fully appreciate it. There was need for changing the policy. This was also announced in my previous Budget speech. We consulted a large number of people. You know, it is not very easy in the Government to change something. It has got so many stakeholders and so many people having interests in this. So, we have actually addressed this, and, we have changed the policy.

(Ends)

Q.No. 112

SHRI KIRANMAY NANDA: Sir, as my first supplementary question to the hon. Minister, I would like to know as to how much foodgrain has been allocated and disbursed to various States against their respective demands.

SHRI C.R. CHAUDHARY: Mr. Chairman, Sir, in fact, the question is related to कि हमारे देश में कितने लोग भूख से पीड़ित हैं या उनको दो टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। आपने अभी पूछा है कि किस स्टेट को कितना फूडग्रेन भेजा जा रहा है, आपको उसके लिए स्टेटमेंट की एक पूरी लिस्ट दे दी जाएगी। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि NFSA लागू होने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है, भारत की two-thirds population is covered under this NFSA. Sir, 75 per cent in rural areas, and, fifty per cent in urban areas are all getting highly subsidized meal.

श्री किरनमय नन्दा : मैंने आपका वह आन्सर देखा है।..(व्यवधान)..

श्री सभापति : सुन लीजिए।..(व्यवधान)..आप उनकी बात तो सुन लीजिए।..(व्यवधान)..

SHRI C.R. CHAUDHARY: I am coming to that also. Highly-subsidized food is being given, और पूरे देश के अंदर रूरल, अरबन एरिया में लोगों को दिया जा रहा है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, जिसको NFSA लागू होने से पहले जितना फूडग्रेन मिल रहा था, उसमें कहीं कमी रखी गई हो। सभी स्टेट्स को जितना फूडग्रेन पहले मिल रहा था, तकरीबन उससे ज्यादा फूडग्रेन दिया जा रहा है। यदि आपके स्टेट की कोई

Q. NO. 112 (CONTD.)

पर्टिकुलर बात हो कि हमें कम फूडग्रेन मिला है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो you can tell us.

श्री किरनमय नन्दा : सभापति जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका आन्सर नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि स्टेट की कितनी डिमांड थी और आपने कितना भेजा था? मैं आपसे एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश की..(व्यवधान).. कितनी डिमांड थी? ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister will answer it.

(Followed by SK/1Z)

KLG-SK/1Z/12.55

श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, मेरे पास सभी स्टेट्स के आंकड़े हैं, जिनको पढ़ने में तीन, चार, पांच मिनट लगेंगे। आप कहें, तो मैं स्टेट वाइज़ पढ़ कर सुना देता हूँ कि कहां कितने व्यक्ति इसमें कवर्ड हैं, इनमें शहर में कितने हैं, रूरल एरिया में कितने हैं, परसेंटेज कहां कितना है।

श्रीमती जया बच्चन: आप उत्तर प्रदेश का बता दीजिए, बाकी टेबल पर रख दीजिए।

श्री रामविलास पासवान: इसीलिए मंत्री जी ने कहा कि आप किसी स्टेट का पूछें, तो मैं बता दूँ। सदन के पटल पर मैं यह कागज रख देता हूँ, जिसमें हर स्टेट का पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है।

Q. NO. 112 (CONTD.)

श्री किरनमय नन्दा: आप एक ही स्टेट के बारे में बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की डिमांड कितनी थी और आपने कितना भेजा?

श्री रामविलास पासवान: सभापति जी, मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में, जो एनएफएसए लागू हुआ है, वह 16 जनवरी को लागू हुआ है और जो पॉपुलेशन का सेंसस है, वह 1995 के आधार पर लिया गया है। रूरल एरिए में परसेंटेज ऑफ कवरेज 79 परसेंट है, शहरी एरिया में 64 परसेंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन्स अंडर एनएफएसए जो टोटल है, वह ग्रामीण एरिया में 12.34 करोड़ है और शहरी एरिया में 2.86 करोड़ है। उसी तरीके से अगर आप अंत्योदय के संबंध में पूछेंगे, तो अंत्योदय का यह 40 है और रूरल एरिया में नंबर ऑफ पर्सन्स का इसमें है। इस तरीके का पूरा का पूरा विवरण इसमें है। जैसा कि सभी को मालूम है, यूपीए सरकार की उसमें बहुत बड़ी देन है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामविलास पासवान: सर, एक मिनट। हम जो यह देते हैं, वह प्रति व्यक्ति के हिसाब से देते हैं। पहले जब बीपीएल और एपीएल था, तो बीपीएल में एक परिवार को 35 किलो ग्राम अनाज दिया जाता था। अब परिवार के आधार पर नहीं रहा, बल्कि प्रति व्यक्ति के आधार पर है। अब हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो ग्राम अनाज दिया जाता है। हमने जितने पर्सन्स का बताया, अगर उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच से गुणा कर दीजिए, तो उतना अनाज यहां से भेजा जाता है, लेकिन अभी भी क्या है कि उत्तर

Q. NO. 112 (CONTD.)

प्रदेश में 50 लाख ऐसे लोग हैं, जिनकी सूची नहीं भेजी गई है। इस कारण वहां का जितना होना चाहिए, उससे कम है। बिहार में भी कम है। ये जितनी जल्दी हमें सूची भेज देंगे, उतने और लोगों का हम भेज देंगे। आज पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को राशन मिलना चाहिए, जिसमें 79 करोड़ लोगों को ऑलरेडी 2/-रुपए किलो गेहूं और 3/-रुपए किलो चावल मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं, जो अपनी तरफ से भी देती हैं। हम यदि 20/- रुपए किलो में गेहूं खरीदते हैं, तो उसमें भारत सरकार अपनी तरफ से 18/- रुपए किलो के हिसाब से देती हैं। इसी तरह यदि हम चावल 30/- रुपए या 31/- रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं, तो उसमें 28/- रुपए भारत सरकार देती है। राज्य सरकार जो अपनी तरफ से लगाना चाहें, वे तो लगाती हैं, जैसे तमिलनाडु में वहां की राज्य सरकार फ्री में देती है और बहुत सी राज्य सरकारें हैं, जो 1/- रुपए की सबसिडी देती हैं। जहां तक अनाज का है, वह प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किलो ग्राम है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, since time is running out, my specific question is this. Out of the coverage-- you have told 75 per cent and 50 per cent-- what is the actual coverage and what is the exclusion? Owing to your insistence for linkage of Aadhaar and secondly, even those who have Aadhaar, their biometric is not matching, because of that, what is the percentage of exclusion from entitlement under the Food Security Act? Sir 75

Q. NO. 112 (CONTD.)

per cent and 50 per cent is guaranteed by the Act. What is the exclusion or deprivation on their Constitutional right under this Act? To my information, it is more than 30 per cent throughout the country because of your insistence for Aadhaar, because a substantial population of those who are entitled for getting this has not Aadhaar linkage, and secondly, those who are having Aadhaar, their biometric is not matching. All this taken together, what is the percentage of exclusion? To my information, it is 30 per cent. Is it more or less?

श्री रामविलास पासवान: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार की यह पॉलिसी है कि सब को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, लेकिन आधार कार्ड न रहने के कारण किसी को अनाज नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा, इसको हम रूल आउट करते हैं। हमने आपको बताया कि 81 करोड़ लोगों के लिए प्रावधान है।

(2ए/एकेजी-वाईएसआर पर जारी)

AKG-YSR/2A/1.00

श्री रामविलास पासवान (क्रमागत) : जिनमें से 79 करोड़ लोगों को यह अभी तक मिल रहा है। बाकी लोगों को यह नहीं मिला है, उसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके लिए राज्य सरकार को बचे हुए लोगों का नाम भेजना चाहिए। हमारे यहाँ 81 करोड़ का प्रावधान है।

Q. NO. 112 (CONTD.)

श्री तपन कुमार सेन : सर, हम आपको जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. ...(Interruptions)... Mr. Tapan

Kumar Sen, Question Hour is over. The House is adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock